न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 95/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/179 — निर्णय दिनांकः 14.11.2022

1. श्रवणराम
2. मीरां
3. राजु
4. संतोष

→ पुत्र/पुत्रिया गुलाराम जाति जाट निवासी आड़सर पूरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

5. श्रवणराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–वादीगण–

–बनाम–

1. बेगाराम पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी आड़सर पूरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. भगवानाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी आलसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूगरगढ

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादीगण
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं सपठित धारा 131,136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 804/685 तादादी 4.3100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 803/685 तादादी 4.3100 हैक्टेयर रोही मोजा आड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है प्रतिवादीगण 1 व 2 के सयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 686/184 तादादी 8.600 हैक्टेयर रोही आड़सर पूरोहितान है। वादगत खेत खसरा नम्बर 804/685 तादादी 4.3100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 803/685 तादादी 4.3100 हैक्टेयर रोही मोजा आड़सर पर वादीगण का ही कब्जा काश्ता एव उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है खेत खसरा नम्बर 686/184 तादादी 8.600 हैक्टेयर रोही आड़सर पूरोहितान पर प्रतिवादीगण 1 व 2 की खातेदारी व कब्जा काश्त निर्वाद रूप से उपयोग–उपभोग शांतिपूर्वक चला आ रहा है व वादगत खेतो की अलग–अलग ही सीगा है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की अलग–अलग ही कब्जा काश्त कायम है। मौके व कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा अमल मे अलग–अलग मोके व कब्जे अनुसार तरमीम नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी अनुसार मौके पर अलग–अलग सीमा कायम कर रखी है एवं कब्जा काश्त कायम है मौके व कब्जे अनुसार वादगत खसरो की राजस्व नक्शे मे तरमीम की जानी थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 के राजस्व कर्मचारियो ने वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के वादगत खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी गई। वादगत खेतो के राजस्व नक्शे मे राजस्व कर्मचारियों ने वादगत खेतो की तरमीम करते समय वादीगण के खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी गई जबकि वादगत खेतो की तरमीम मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार एवं तादादी के अनुसार की जानी थी। वादगत खेत राजस्व नक्शा शीट मे मौके कब्जे मे विपरीत दर्ज है। मौके पर वादगत खेत 686/184 की जगह [illegible] नम्बर 803/685, 804/685 है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चल आ रही है। राजस्व कर्मचारियो ने बिना मौके की जांच किये वादगत खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी जबकि वादगत खेत 686/184 की जगह खसरा नम्बर 803/685, 804/685 है। [illegible] कि वादीगण ने दिनांक 24.06.2022 को राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपी निकलवाई तो वादीगण को पता चला कि [illegible] है। वादीगण के खेतो की जगह वादीगण के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत [illegible] है। वादीगण के खेतो की जगहर वादीगण का खेत प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का खेत व प्रतिवादीगण के खेतो की जगहर वादीगण का खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.21 16:26:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

नक्शा सीट मे दर्शाया हुआ है वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 से मौके कब्जे के अनुसार तरमीम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 3 ने रिकार्ड सही करने से इन्कार कर दिया प्रतिवादी संख्या 3 की इनकारी से वादीगण को वाद हेतु हासिल है वादगत खेतो की खातेदारी व कब्जा काश्त होने से वादीगण को वादाधार हासिल है। यह है कि वादीगण के खेतो की राजस्व नक्शे मे तरमीम मौके कब्जे काश्त व सीमाकन के विपरीत होने से वादीगण को अपूरणीय क्षतिकारित हो रही है। यह है कि वादगत खेत रोही ग्राम आड़सर पूरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित होने से वादगत खेतो से सम्बन्धित वाद सुनने का श्रीमानजी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। यह है कि वादीगण का दावा पूर्ण कोर्ट फीस न्यायशुल्क पर समयावधि के भीतर प्रस्तूत है:—

अतः दावा प्रस्तूत कर निवेदन कि है कि बहक वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाई जावे।

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 803/685 तादादी 4.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 804/685 तादादी 4.3100 हैक्टेयर रोही मौजा आड़सर पूरोहितान का खसरा नम्बर 686/184 तादादी 8.6300 हैक्टेयर रोही मौजा आड़सर पूरोहितान की जगह मौका कब्जा अनुसार राजस्व नक्शा मे तरमीम मौके कब्जे के अनुसार घोषित किया जावे।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावे कि रोही आड़सर पूरोहितान वादगत खेत खसरा नम्बर 803/685, 804/685 व खसरा नम्बर 686/184 को राजस्व नक्शे मे तरमीम मौके कब्जे अनुसार की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो वह भी आज्ञाप्त फरमाया जाये।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया सहमति प्रदान की गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रतिवादीगण एवं स्टेट को वादीगण वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 803/685, 804/685 व खसरा नम्बर 686/184 रोही ग्राम आडसर पुरोहितान को राजस्व नक्शे मे तरमीम मौके कब्जे अनुसार की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.21 16:26:16 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

1. श्रवणराम
2. मीरां
3. राजु
4. संतोष

(1–4) → पुत्र/पुत्रिया गुलाराम जाति जाट निवासी आड़सर पूरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

5. श्रवणराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–बनाम–

1. बेगाराम पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी आड़सर पूरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. भगवानाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी आलसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूगरगढ

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 95/2022
निर्णय दिनांक 14.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की और से श्री राजाराम नैण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की और से श्री राजूराम बाना व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकाराराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 803/685, 804/685 व खसरा नम्बर 686/184 रोही ग्राम आडसर पुरोहितान को राजस्व नक्शे मे तरमीम मौके कब्जे अनुसार की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत रहेगा।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........0..........फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 14 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.21 16:26:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)